जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2015/डी–1636 दिनांकः– 20/7/2015

–:कार्यवाही विवरण:–

विषय :– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 174वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

क्र. सं.	एजेण्डा संख्या	विषय	निर्णय
1.	174.1	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 173वीं बैठक दिनांक 18.05.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 173वीं बैठक दिनांक 18.05.2015 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों के क्रियान्विति की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया।
2	174.2	श्री विजय खेमका पार्टनर डी.के.जी. टाउनशिप एण्ड डवलपर्स के खसरा नं 166/402, 167, ग्राम झालाणा चौड व खसरा नं. 120, 127, ग्राम दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लेट्स मूल भूखण्ड पर ही प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 3. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में प्रस्ताव देना होगा। 4. उपरोक्त बिन्दुओं 1, 2 व 3 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
3	174.3	श्री मुरारीलाल अग्रवाल पार्टनर राधेकृपा बिल्डर्स के भूखण्ड सं. जी.एच.–1, मां हिंगलाज नगर, विस्तार, ग्राम धावास एवं कनकपुरा, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड पर ही प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4 EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में प्रस्ताव देना होगा। 5. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2015 तक प्रारम्भ करना होगा एवं दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें; 6. उपरोक्त बिन्दु सं. 1, 2, 3 व 4 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र

SAIR/17/2017

	4	174.4	श्रीमती मधु चौरडिया पत्नी श्री विनय चौरडिया के खसरा नं. 160, 161, 218, 219, 253/911 व 255, ग्राम केशोपुरा, अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है। प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड पर ही एक अलग टॉवर में प्रथम तल से 7वें तल तक प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में प्रस्ताव देना होगा। 5. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2015 तक प्रारम्भ करना होगा एवं दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 6. उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 4 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
	5.	174.5	श्री नवीन मण्डा मुख्तयारआम मैसर्स सन लाइफ बिल्डकॉन प्रा. लि. के मूल भूखण्ड–खसरा नं. 589/3, 594/1, 595 ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, अजमेर रोड, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– 1. चूंकि प्रार्थी द्वारा EWS/LIG फ्लैट्स के स्थान पर 2 EWS/LIG फ्लैट्स को जोडकर 2BHK फ्लैट्स का अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। अतः मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक को भवन को सील करने के निर्देश प्रदान किये जावें। 2. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 3. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 4. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 5. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर अन्यत्र स्थान पर EWS/LIG फ्लैट्स हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में नियमानुसार प्रस्ताव देना होगा। 6. प्रार्थी द्वारा EWS/LIG फ्लैट्स के स्थान पर 2 EWS/LIG फ्लैट्स को जोडकर 2BHK फ्लैट्स का अनाधिकृत निर्माण कर लिया गया है। अतः 30 दिवस में मौके के अनुसार प्रार्थी संशोधित मानचित्र भी प्रस्तुत कर। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक मूल भवन को सील रखा जावें।

6.	174.6	श्री ठाकुर इन्द्र विजय सिंह के खसरा नं. 92/1, ग्राम बीड, खातीपुरा, मुख्य क्वीन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर में प्रस्तावित EWS फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड पर ही प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में प्रस्ताव देना होगा। 5. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2015 तक प्रारम्भ करना होगा एवं दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 6. उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 4 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
7.	174.7	खसरा नम्बर 87/1, रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:– "प्रश्नगत प्रकरण में भूखण्ड की 9C–बी दिनांक 23.12.2009 से पूर्व की अर्थात् 01.07.2009 की है। अतः EWS/LIG की आवश्यकता नहीं है।"
8.	174.8	श्री विनोद गोयल निदेशक मंगलम बिल्ड डवलपर्स लिमिटेड के खसरा संख्या 187, 187/78, 188, 188/790, 189 से 191, 191/791, 192 से 206, 209 से 219, 221 से 224, 379 से 383, ग्राम–हाज्यावाला, तहसील–सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड पर ही अलग टॉवर में प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में प्रस्ताव देना होगा। 5. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.06.2017 तक तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 6. उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 4 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
9.	174.9	श्री आशीष अग्रवाल, निदेशक फॉर श्रीराम कृपा बिल्डहोम प्रा. लि. के खसरा नम्बर 123, 124, 133/669, ग्राम नृसिंहपुरा	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स अन्य भूखण्ड पर प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार

			उर्फ रिक्शा, तहसील सांगानेर, जयपुर में **प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध** में।	विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. **प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ** नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में प्रस्ताव देना होगा। 5. आवेदक द्वारा दिये गये संशोधित नवीन स्थल अर्थात् मैसर्स रीजेन्सी बिल्डहोम एल.एल.पी. ग्राम गोनेर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्राजेक्ट में 16 EWS इकाईयां (423.65 वर्गमीटर) व 17 LIG इकाईयां (687.03 वर्गमीटर) कुल 1110.68 वर्गमीटर के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 6. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 7. उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 6 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
10.	174.10	श्री कांतिचन्द शर्मा के खसरा नं 884/1, 885/1, 894 व 895, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड पर ही प्रथम तल से 9वें तल तक प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.06.2017 तक तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 5. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में प्रस्ताव देना होगा। 6. उपरोक्त बिन्दु स. 1 से 5 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
11.	174.11	श्री विशाल कुमार शर्मा निदेशक वी.एन. बिल्डटेक प्रा.लि. के खसरा नं. 703/2, 705/1, 705/2 व 706, ग्राम श्रीकिशनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये कि :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे।

				2. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में **फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में** प्रस्ताव देना होगा। 3. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.06.2017 तक तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 4. उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 3 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
12.	174.12	श्री धीरेन्द्र मदान निदेशक महिमा रियल एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नम्बर 881, 882, 896, 929, 930, 931, 1886/880, 1887/928, 1888/932, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।		प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के संशोधित भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:- 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः संशोधित अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः संशोधित पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.2 + 0.5 (EWS/LIG) = 1.7 तथा अधिकतम 2.0 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 1.856 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.7 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 5. श्रमिक उपकर नवीन प्रस्तावित क्षेत्र पर नियमानुसार लिया जावें। 6. प्रश्नगत प्रकरण में मूल भूखण्ड पर EWS/LIG फ्लैट्स का नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/- प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 7. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/- प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 8. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी। 9. उपरोक्त बिन्दु सं. 6 से 8 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है। 10. पूर्व में आवेदक द्वारा तत्समय प्रचलित भवन विनियमानुसार सकल निर्मित क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के आधार पर EWS/LIG प्रस्तावित किये गये थे, जिसे भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 106वीं बैठक दिनांक 31.01.2011 में स्वीकृत किया गया था तथा मानचित्र दिनांक 08.04.2011, 24.01.2012 को जारी किये गये। वर्तमान में आवेदक द्वारा वर्तमान प्रचलित भवन विनियमानुसार मूल भूखण्ड पर प्रस्तावित एफ.ए.आर. (39341.89 वर्गमीटर) के 5 प्रतिशत (1967.09 वर्गमीटर) के बराबर क्षेत्र EWS/LIG हेतु अनुमोदित अफोर्डेबल हाउसिंग योजना खसरा नम्बर 63/1, ग्राम मानुपर गेट, तहसील सांगानेर, जयपुर पर प्रस्तावित किये गये है जिसमें 30 EWS (987.72 वर्गमीटर) एवं 21 LIG (990.61 वर्गमीटर) कुल 1978.33 वर्गमीटर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया।

			11. आवेदक द्वारा राज्य सरकार के जारी आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 3 की पालना में EWS/LIG हेतु प्रस्तावित एफ.ए.आर. के बराबर एफ.ए.आर. मूल परियोजना में रहन रखते हुए फ्लैट नम्बर चिन्हित करते हुए पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 12. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में EWS/LIG का निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 13. EWS/LIG बाबत् शास्ति 30 दिवस में व प्रस्तावित संशोधित भवन मानचित्र बाबत् मांग राशि 60 दिवस में जमा करानी होगी। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
13.	174.13	भूखण्ड संख्या 17, हनुमान वाटिका ए–7, ग्राम–सालिगरामपुरा, तहसील– सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय EWS ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– "चूंकि प्रश्नगत भूखण्ड EWS/LIG निमित्त था जिस पर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2015 लागू नहीं होते। अतः बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।"
14.	174.14	श्री अंकित गुप्ता निदेशक मैसर्स वर्गो बिल्ड एस्टेट प्रा. लि. के साउथ एक्स योजना, ग्राम मथुरावाला व अजयरापुरा, टौंक रोड़, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि EWS/LIG फ्लैट्स अन्य भूखण्ड पर प्रस्तावित किये गये थे। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 3. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 4. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2015 तक प्रारम्भ करना होगा एवं दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 5. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में प्रस्ताव देना होगा। 6. उपरोक्त बिन्दु सं. 1 से 5 की पालना उपरान्त बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया जाता है।
15.	174.15	श्री सत्यनारायण गुप्ता निदेशक एस.एन. जी. रियल एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नं. 695, 696, 702, 703, 704, 705, ग्राम भाटेड वाटिका, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:– "प्रश्नगत भूखण्ड पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, मॉडल 2 के तहत मानचित्र अनुमोदित किये गये है। जिसके अनुसार निर्माण नहीं करने पर कोई शास्ती आरोपित करने का उल्लेख नहीं है। अतः प्रकरण में शास्ति लिये जाने का औचित्य नहीं है एवं बीपीसी (बीपी) की 171वीं बैठक दिनांक 12.03.2015 में मानचित्र निरस्त करने के निर्णय को प्रत्याहारित किया गया।" प्रार्थी को उपरोक्तानुसार सूचित किया गया।

	16.	174.16	श्री राजेन्द्र बरडिया, निदेशक बरडिया रियल एस्टेट डवलपर्स प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या 4, इन्द्रा प्लेस, मालवीय नगर, जयपुर के व्यावसायिक भवन के संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत व अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये :– प्रार्थी द्वारा सर्विस फ्लोर पर टॉयलेट ब्लॉक बनाया गया है एवं सर्विस फ्लोर को मेन्टीनेन्स स्टोर व आफिसेज के काम में भी लिया जा रहा है, जो कि भवन विनियम के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है। अतः प्रार्थी को 3 दिवस में उक्त गतिविधियों को स्वयं हटाने हेतु लिखा जावें। यदि प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में उक्त निर्माण को नहीं हटाया जाता है तो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को सर्विस फ्लोर पर सर्विसेज के अतिरिक्त चल रही गतिविधियों को ध्वस्त करने हेतु तत्काल पत्र लिखा जावें। उक्त कार्यवाही के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावें।
	17.	174.17	खसरा नम्बर 180, 181, 184 व 186, ग्राम झालाना डूँगर, तहसील सांगानेर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक सह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिये गये कि :– 1. जोनल विकास योजना–3 पर अंकित मार्ग–बी पर जवाहर नगर के फ्लाई ओवर व नाले के बीच के क्षेत्र में ग्रीन एरिया भू–उपयोग दर्शाया गया है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड में फ्लाई ओवर व नाले के बीच शेष क्षेत्र केवल ग्रीन एरिया हेतु उपयोग में लिया जा सकेगा। इस बाबत् प्रार्थी को भी सूचित किया जावें।
	18.	174.18	श्री श्याम सुन्दर मौसूण, निदेशक, मैसर्स सर्वोत्तम बिल्डहोम प्रा. लि. के खसरा नम्बर 307, ग्राम रामपुरारूपा, दुग्गड गार्डन, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2015 में अंकित किया कि मार्गदर्शन का कोई बिन्दु निहित नहीं होने के कारण जविप्रा अपने स्तर पर निर्णय करें। इस संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में निर्णय लिया गया कि :– "प्राधिकरण की 60वीं बैठक दिनांक 05.09.2011 के बिन्दु सं. 26 के अनुसार राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। अतः प्रकरण पुनः राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।"
	19.	174.19	श्री श्रीमत पाण्डेय, सरयू पाण्डेय एच.यू.एफ. कर्ता के भूखण्ड संख्या ए–524, सिद्धार्थ नगर–ए, एयरपोर्ट हैंगर रोड़, जवाहर सर्किल, जयपुर भवन मानचित्र नियमबद्ध करने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. भूतल पर सेटबैक क्षेत्र में निर्मित टॉयलेट को हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। 3. आवेदक द्वारा बिना अनुमति बेसमेन्ट + भूतल पर कुल 738.06 वर्गमीटर क्षेत्रफल का निर्माण किया हुआ है, जिसकी बिना अनुमति निर्माण शास्ति रूपये 10,33,284/– ली जावें। 4. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
	20.	174.20	श्री विजय कुमार वर्मा, वाईस प्रेसीडेन्ट एण्ड कम्पनी सेक्रेटी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 2 बी व 2 सी, बाईपास रोड़, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर में निर्मित होटल द ग्रांड (द ललित) के संशोधित मानचित्र अनुमोदित कर अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि. प्रकरण को समस्त तथ्यों सहित दिशा–निर्देश हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जावें।
	21.	174.21	श्री अशोक अग्रवाल एवं श्रीमती रेणू अग्रवाल के भूखण्ड संख्या ए–2, महावीर नगर–ए, टोंक रोड, जयपुर के प्रस्तावित वाणिज्यिक भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिया गया :– 1. उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 1063.70 वर्गमीटर था जिसमें 87.90 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु भूमि समर्पित की गई

			जिसके पश्चात उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 975.91 वर्गमीटर उपलब्ध होता है। भवन विनियम 2010 मय संशोधन के अनुसार "सेटबैक हेतु भूमि समर्पण के पश्चात समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर कम माना जायेंगा ताकि भवन रेखा पूर्वानुसार अर्थात यथावत रहें साथ ही मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल किसी उपयोग के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल हेतु आधार माना जावेंगा।" चूंकि मूल भूखण्ड 1000 वर्गमीटर से अधिक था किन्तु सड़क मार्गाधिकार में समर्पित भूमि के पश्चात भूखण्ड का क्षेत्रफल 975.91 वर्गमीटर उपलब्ध होता है। अतः प्रश्नगत भूखण्ड पर एफ.ए.आर. का लाभ दिया जाये परन्तु ऊँचाई का लाभ नहीं दिया जावे। अतः अनुज्ञेय अधिकतम ऊँचाई 15 मी. के संशोधित मानचित्र प्रार्थी से लेकर आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
22.	174.22	खसरा नम्बर 122, 123, 124, 166, 167, गांव सूरजपुरा घाटी, तहसील–सांगानेर, एयरपोर्ट टर्मिनल–2 के सामने, जयपुर के व्यावसायिक भूखण्ड पर प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र संशोधन के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– "विकासकर्ता को अधिसूचना दिनांक 08.05.2015 की अनुपालना में अविलम्ब 15 मी. ऊँचाई के संशोधित मानचित्र 15 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे एवं तब तक मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को तत्काल भवन में चल रहे निर्माण कार्यों को रूकवाते हुए सील करने के निर्देश दिये गये।"
23.	174.23	पुर्नगठित भूखण्ड संख्या बी–1, बी–1ए, बी–1बी, बी–2, बी–3, केशव विहार, भूखण्ड संख्या बी–10, बी–11/49, बी–12/49, अशोक वाटिका, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, एयरपोर्ट टर्मिनल–02 के पास, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र संशोधन करने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– "विकासकर्ताओं को अधिसूचना दिनांक 08.05.2015 की अनुपालना में अविलम्ब 15 मी. ऊँचाई के संशोधित मानचित्र एवं 15 मी. से अधिक हो गये निर्माण उनको स्वयं अपने खर्चे पर 3 माह में हटाते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे एवं तब तक मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को तत्काल प्रश्नगत भवन में चल रहे निर्माण कार्यों को रूकवाते हुए सील करने के निर्देश दिये गये ।"
24.	174.24	खसरा नम्बर 141/1, 142, 406/148, 403/148 व 404/148, ग्राम–चैनपुरा, तहसील–सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक भवन के भवन मानचित्र संशोधन के संबंध में।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– "विकासकर्ताओं को अधिसूचना दिनांक 08.05.2015 की अनुपालना में अविलम्ब 15 मी. ऊँचाई के संशोधित मानचित्र एवं 15 मी. से अधिक हो गये निर्माण उनको स्वयं अपने खर्चे पर 3 माह में हटाते हुए संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे एवं तब तक मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को तत्काल प्रश्नगत भवन में चल रहे निर्माण कार्यों को रूकवाते हुए सील करने के निर्देश दिये गये।"
25.	174.25	मैसर्स गंगवाल रियल एस्टेट एल.एल.पी. जरिये पार्टनर श्री शंकर खण्डेलवाल के भूखण्ड संख्या ए–5 एयरपोर्ट एन्कलेव (एयरपोर्ट प्लाजा एक्सटेन्शन "ए ब्लॉक"), टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय कॉम्पलैक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 50,367.14 वर्गमीटर प्रस्तावित है, जो कि 20,000 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें।

			4. उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 7276.40 वर्गमीटर है। भूखण्ड **नीलामी से क्रय किया हुआ है। नीलामी के शर्त में उल्लेख किया गया है कि "उक्त भूखण्ड पर किसी भी प्रकार की बेटरमेन्ट लेवी लेय नहीं होगी तथा भूखण्ड की लीज व्यावसायिक होने के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लागू नहीं होगी।"** अतः बेटरमेन्ट लेवी नहीं ली जावें एवं EWS/LIG इकाईयों के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। 5. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावे। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
26.	174.26	श्रीमती सरोज कटेवा श्रीभान कटवा के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या डी–220, डी–221, हनुमान नगर, जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि:– चूंकि प्रार्थी द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार मौके पर निर्माण किया गया है एवं आंशिक संशोधन है। अतः संदेय शुल्क लेते हुए संशोधित एवं अधिवास मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
27.	174.27	श्री अशोक अग्रवाल के खसरा नम्बर 1504, 1505, 1506/1, 1507/1, 1511, योजना ग्रुप हाउसिंग, ग्राम चंदलाई, तहसील चाकसू, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके पर एक अस्थाई टीनशेड़ बना हुआ है, जिसे हटाने के संबंध में आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। 3. आवेदक द्वारा EWS/LIG फ्लैट्स मूल भूखण्ड़ पर ही प्रस्तातिव किये गये है। प्रस्तावित कुल एफ.ए.आर. 2983.10 वर्ग मीटर के 5 प्रतिशत के हिसाब से 149.15 वर्ग मीटर सकल निर्मित क्षेत्र के बराबर EWS/LIG प्रस्तावित करने है। आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड़ पर 3 EWS व 2 LIG प्रस्तावित किये गये है, जिनका कुल सकल निर्मित क्षेत्रफल 172.72 वर्ग मीटर (5.78 प्रतिशत) प्रस्तावित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 4. आदेश दिनांक 02.05.2012 एवं दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से 3 माह में EWS/LIG का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं चूंकि मूल परियोजना का कुल एफ.ए.आर. क्षेत्रफल 15,000 वर्गमीटर से कम है। अतः 3 वर्ष में EWS/LIG इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 5. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में प्रस्ताव देना होगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
28.	174.28	श्री विक्की चतुर्वेदी, निदेशक फॉर विराट बिल्डहोम (प्रा.) लि. के खसरा नम्बर 143/4, ग्रा[illegible] लालरपुरा, तहसील जयपुर के प्रस्तावित आवासीय निर्माण के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में

			भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक 1.33 अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.24 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
29	174.29	श्री रिषी मेहता, पार्टनर मैसर्स प्लेटिनम बिल्डहोम के भूखण्ड संख्या 7, योजना वैशाली एलीगेन्स, ग्राम लालरपुरा, तहसील जयपुर, गांधी पथ, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.232 एफ.ए. आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
30.	174.30	श्री राकेश कुमार जैन के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 203, 204 व 205, लॉयन्स लेन, वैशाली नगर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। 4. मौके पर निर्मित अस्थाई कमरा व टीन शेड को हटाया जाना सूनिश्चित किये जाने बाबत् आवेदक से अण्डरटेकिंग ली जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
31.	174.31	श्री एन.के. गुप्ता निदेशक, प्रिशियस कंसट्रक्शन प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या बी–2, उच्चपुल, जगतपुरा, जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा लोअर बेसमेन्ट में कुछ जगह पर तीन लेयर मैकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित की गई है, जबकि पूर्व में दो लेयर मौके पर मैकेनिकल कार पार्किंग स्वीकृत की गई थी एवं मौके पर बेसमेन्ट का निर्माण किया जा चुका है। आवेदक द्वारा पत्र के साथ कॉलम फुटिंग का मानचित्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिस जगह तीन लेयर मैकेनिकल कार पार्किंग प्रस्तावित की गई है उस जगह कॉलम की फुटिंग नहीं है। अतः वहां पर खुदाई कर तीन लेयर मैकेनिकल कार पार्किंग बनाई जा सकती है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि मौके पर बेसमेन्ट का निर्माण हो चुका है। अतः समिति द्वारा 3 लेयर मैकेनिकल पार्किंग

			के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। उपरोक्तानुसार पार्किंग का संशोधित प्लान प्रस्तुत होने पर पुनः बैठक में रखा जावे।
32.	174.32	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड़, पत्रकार कॉलोनी, धौलाई के आवासीय परिसर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– "मौके पर 30 मी. ऊँचाई का भवन अनुमोदन अनुसार बनाया गया है। अतः नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।" शेष निर्णय पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों अनुसार यथावत रहेंगे।
33.	174.33	श्री निखिल मदान निदेशक मैसर्स शिवकृपा बिल्ड एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नम्बर 449/30, 451/31, 453/33, 448/30, 452/33, 447/30, 465/30, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ धौलाई, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.6 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. प्रकरण में मानक 1.33 + 0.5, अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 + 0.5 + 0.5 = 3.25 में अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.574 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.83 से अधिक प्रस्तावित एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 5. प्रश्नगत भूखण्ड़ पर आवेदक द्वारा 36293.22 वर्गमीटर एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूखण्ड़ की आवासीय आरक्षित दर 4500/– रूपये प्रति वर्गमीटर है। आवेदक द्वारा प्रस्तावित एफ.ए.आर. की एवज में मैसर्स अनुकम्पा होम्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413, 1414, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड़ (पार्ट बी), ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर पर अर्फोडेबल हाउसिंग की अनुमोदित योजना में 31 EWS फ्लैट (936.20 वर्गमीटर) एवं 20 LIG फ्लैट (929.40 वर्गमीटर) कुल 51 EWS/LIG फ्लैट्स (1865.60 वर्गमीटर) क्रय किये है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. आदेश दिनांक 02.05.2012 एवं दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में आवश्यक रूप से 3 माह में EWS/LIG का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं 2 वर्ष में EWS/LIG इकाईयों का निर्माण कार्य पूर्ण कर कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 7. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस मय फ्लैट नं. का प्रस्ताव देना होगा। 8. नियमानुसार श्रमिक उपकर देय होगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

34.	174.34	श्री आशुतोष बंसल निदेशक फॉर जनक नन्दिनी रियलटर्स प्रा. लि. के खसरा नम्बर 264/131, 265/132, ग्राम रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित समूह आवासीय के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गये :– 1. चूंकि आवेदक द्वारा अनुमोदन अनुसार मुख्य परियोजना में स्टिल्ट पर EWS/LIG नहीं बनाकर कहीं अन्यत्र प्रस्ताव दिया है। अतः मुख्य भवन आंशिक रूप से बिना अनुमोदन के निर्मित है। अतः मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को भवन को सील करने हेतु लिखा जावे। 2. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 3. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 4. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 5. EWS/LIG हेतु प्रस्तावित एफ.ए.आर. के 5 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र अर्थात 747.45 व.मी. निर्मित क्षेत्र अपेक्षित है। जिसके लिए आवेदक द्वारा भूखण्ड सं. एच. 138, गोवर्धन विहार योजना में 1496.16 व.मी. व भूखण्ड सं. 551, रोहिणी नगर में 505.68 व.मी. निर्मित क्षेत्र में EWS/LIG का प्रस्ताव दिया गया है। गोवर्धन विहार योजना में आवासीय आरक्षित दर के अनुपात में तिगुने व रोहिणी नगर योजना में आवासीय आरक्षित दर के अनुपात में दोगुना निर्मित क्षेत्र में EWS/LIG का प्रस्ताव करते हुए कुल (505.68/2+1496.16/3) 751.56 व.मी. (5.02 प्रतिशत) निर्मित क्षेत्र में EWS/LIG का प्रस्ताव दिया गया है। जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. EWS/LIG फ्लैट्स का निर्माण कार्य 2 वर्ष में पूर्ण कर कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने तक मूल भवन को सील रखा जावें।
35.	174.35	खसरा नम्बर 174 व 175, ग्राम–जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के संशोधित मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि पूर्व में जारी मांगपत्र में श्रमिक उपकर का वर्णन था परन्तु प्रश्नगत भवन मौके पर निर्मित है व प्रकरण संशोधन व अधिवास प्रमाण पत्र हेतु विचाराधीन है। साथ ही पूर्व में अधिवास प्रमाण पत्र के प्रकरणों में श्रमिक उपकर नहीं लिया गया था। अतः प्रश्नगत प्रकरण में भी श्रमिक उपकर नहीं लिये जाने का निर्णय लिया गया है। शेष निर्णय पूर्व की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार यथावत रहेंगे।
36.	174.36	श्री धर्मेन्द्र कुमार वाधवानी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मैसर्स श्री सालासर बिल्ड स्कवायर प्रा. लि. के खसरा नम्बर 2149/4, ग्राम मुहाना, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक 1.33 अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25

			अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.12 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. मौके पर 13.5 मी. सडक की चौडाई उपलब्ध है। अतः 15 मी. ऊँचाई तक के भवन मानचित्र जारी कर दिये जावें तथा सडक की पूर्ण चौडाई अर्थात् 18 मी. उपलब्ध होने पर 15 मी. से अधिक ऊँचाई के भवन मानचित्र जारी कर दिये जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
37.	174.37	श्रीमती शशिकला शर्मा निदेशक आर.एस. पी. होटल्स प्रा. लि. के खसरा नम्बर 673, 674, 677, 678, 686, 691, 685, ग्राम भापुरा तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित होटल के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा नियत समय में मांगपत्र में वर्णित राशि जमा नहीं करायी गई व 6 माह से पूर्व ही पुनः आवेदन कर दिया है। अतः प्रकरण को स्थगित रखते हुए आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
38.	174.38	टी.आर.एफ. एन्टरप्राईजेज लि. द्वारा मानचित्र अनुमोदन हेतु मांग राशि की अवधि बढ़ाने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को मांगपत्र में वर्णित राशि को बिना ब्याज के 05.08.2015 तक जमा कराने का समय दिया गया है।
39.	174.39	श्री सत्यनारायण गुप्ता निदेशक मैसर्स स्टार वैली रियल एस्टेट प्रा.लि. के खसरा नम्बर 400 व 401, ग्राम–सिरसी, सिरसी रोड़, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है, अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.83 (1.33 + 0.5) अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 3.248 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.83 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 5. प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 02.05.2012 के अनुसार EWS/LIG वर्ग हेतु 23240.50 वर्गमीटर प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत के बराबर 1162.02 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल आरक्षित किया जाना है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 1.4 के अनुसार EWS/LIG श्रेणी की आवासीय इकाईयां मूल भूखण्ड से हटकर अन्यत्र स्थान पर प्रस्तावित की जाती है तो उनकी संख्या दोनों स्थानों की आरक्षित दर के अनुपात (जिन शहरों में सभी जोन्स की आरक्षित दर निर्धारित है) अथवा जहां आरक्षित दर तय नहीं है वहां डी.एल.सी. दर (जहां सभी जोन्स की आरक्षित दर निर्धारित नहीं है) में तय की जावेगी जो अधिकतम तीन गुणा तक होगी। इस संबंध में आवेदक द्वारा दिनांक 09.03.2015 को सम्पादित एग्रीमेन्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अन्तर्गत स्वयं के कोटे में से 8 इकाईयां EWS वर्ग हेतु व 5 ईकाईयां LIG वर्ग हेतु इसी जोन (12) में खसरा नम्बर 231/3, ग्राम भम्भौरी, कालवाड़ रोड़ जयपुर तथा 11 ईकाईयां EWS वर्ग हेतु व 8 ईकाईयां LIG वर्ग हेतु खसरा नम्बर 695, 696, 702

			से 705, ग्राम भाटेड़ वाटिका, जयपुर पर प्रस्तावित किये गये है। उक्त दोनों भूखण्डों पर प्रस्तावित EWS/LIG का कुल क्षेत्रफल (1177.57) वर्गमीटर प्रस्तावित किया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 6. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2015 तक प्रारम्भ करना होगा एवं दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 7. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में प्रस्ताव देना होगा। 8. नियमानुसार श्रमि उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
40.	174.40	श्री स्नेहलता पत्नी श्री जयसिंह के खसरा नम्बर 974, योजना ग्राम सिरसी, जयपुर के प्रस्तावित स्कूल भवन के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् स्कूल के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. मौके पर पूर्व में अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न फ्रन्ट साईड में पोर्च के ऊपर एक कमरें (41 वर्गमीटर क्षेत्रफल) का निर्माण किया हुआ है, यह निर्माण भवन सीमा के अन्दर है। अतः उक्त क्षेत्रफल पर निर्धारित दर का 10 प्रतिशत के अनुसार बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावें। 3. नवीन निर्माण हेतु नियमानुसार श्रमि उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
41.	174.41	श्री विवके सेठिया निदेशक रिचवेल एन्टरप्राईजेज प्रा.लि. के खसरा नम्बर 1973, 1987/1, ग्राम सिरसी, तहसील जयपुर, वैशाली एस्टेट, गांधी पथ वेस्ट, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. प्रकरण में मानक 1.33 + 111.40 व.मी. (सेक्टर सड़क हेतु समर्पित क्षेत्रफल) अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 + 0.5 + (1110.40 व.मी.) (सेक्टर सड़क हेतु समर्पित क्षेत्रफल) में अनुज्ञेय है जबकि आवेदक द्वारा 2.749 + 111.40 व.मी. (सेक्टर सड़क में गया क्षेत्रफल) एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 + 111.40 व.मी. से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 5. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

42.	174.42	श्रीमती मंजू राठौड पत्नी श्री नन्द भंवर सिंह राठौड के खसरा नम्बर 7/6, जयसिंहपुरा, कांकडौदा, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् रिसोर्ट के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
43.	174.43	श्री सुरेन्द्र कुमार बरडिया निदेशक क्वीन्स ग्रेनाइट प्रा.लि. के खसरा नम्बर 102, पुराना 188 नया, ग्राम कूकस में व्यावसायिक भवन के मानचित्र जारी करने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को स्थगित रखते हुए उपायुक्त जोन को निर्देश दिये गये गये कि समस्त तथ्यों सहित पत्रावली आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करें।
44.	174.44	श्री भीमसिंह चूण्डावत जरिये निदेशक मैसर्स बायण कॉन्ट्रेक्टर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि. के पुर्नगठित खसरा नम्बर 34, 35/687, 41/688, 42/689, 47/690, 48/691, 33, 34/686, ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् रिसोर्ट के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
45.	174.45	श्री राजेश्वर सिंह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मैसर्स स्वीट बिल्डहोम प्रोजेक्ट् के खसरा नम्बर 208, 209, 210, 201/1170, 212, 213, 214, 211/1171, 215/1172, 219, 220, 221, 239, 240, निजी खातेदारी, ग्राम उदयपुरिया, तहसील चाकसू, जयपुर के प्रस्तावित EWS/LIG के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 67,022.02 वर्गमीटर प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 3. आवेदक द्वारा 37.27 भूतल आच्छादन प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूखण्ड पर 35 प्रतिशत आच्छादन अनुज्ञेय है एवं "भवन विनियमानुसार अधिकतम आच्छादन क्षेत्र 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जा सकेगा। अतिरिक्त आच्छादन क्षेत्र पर 100 रूपये प्रति वर्गफीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से बेटरमेन्ट लेवी ली जावेंगी।" अतः प्रकरण में अतिरिक्त 2.27 प्रतिशत भूतल आच्छादन की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया गया। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
46.	174.46	डॉ. एस. के. गोदिका, मदन प्रताप खूंटेटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के भूखण्ड संख्या 10, 11 व 12, ग्राम सायुपरा, जयपुर में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल व रिसर्च सेन्टर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल व रिसर्च सेन्टर के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. चूंकि वर्तमान में भूखण्ड सं. 12 में से होकर जो सडक गुजर रही है वह अस्थायी है। अतः वर्तमान में बॉयज हॉस्टल का सैटबैक मुख्य सेक्टर रोड से ही माना जावें।

			3. मौके पर एडमिनीस्ट्रेटिव ब्लॉक बिना अनुमति निर्माण किया गया है जिसके लिए बिना अनुमति निर्माण शास्ति ली जावें 4. वर्तमान प्रचलित भवन विनियम के अनुसार वर्षा जल संग्रहण के प्रावधान सूनिश्चित किये जाने बाबत् अमानत राशि ली जावें। 5. संशोधित मानचित्र के लिए जॉच शुल्क लिया जावें। 6. समस्त नवीन निर्माण (पूर्व में अनुमोदित अथवा नवीन अनुमोदित) हेतु श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
47.	174.47	श्रीमती रेणू अग्रवाल के खसरा नम्बर 1494/1, 1495, 1496, ग्राम चन्दलाई, तहसील वाकसू, जयपुर के प्रस्तावित रिसोर्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् रिसोर्ट के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
48.	174.48	भूखण्ड़ संख्या आई–1, निजी खातेदारी योजना, खसरा नम्बर 219/301, 260 व 264, ग्राम–हेमा की नाँगल, तहसील–सांगानेर, जयपुर में समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को 15 मी. ऊँचाई के मानचित्र प्रस्तुत करने पर जारी कर दिये गये है और अब प्रार्थी इससे ऊँचा भवन नहीं चाहता। अतः 15 मी. से ऊँचे भवन बाबत् प्रार्थी द्वारा जमा करायी गई अमानता राशि रूपये 15.00 लाख लौटाने का निर्णय लिया गया।
49.	174.49	भूखण्ड़ संख्या जी.एच. 1, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड़, जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन एवं अधिवास प्रमाण पत्र बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गयाः– पूर्व बैठक दिनांक 30.03.2015 में लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थी के संशोधित अधिवास प्रस्ताव को निरस्त किया गया। साथ ही प्रार्थी को यह भी सूचित करे कि अनुमोदित मानचित्र से भिन्न हुये निर्माण को अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में माना जावेगा तथा अमानता राशि को समायोजन करने का जविप्रा में कोई नियम नहीं है।
50.	174.50	श्री संजीव कुमार सांघी, पार्टनर तुषार रियल होम्स एल.एल.पी. के भूखण्ड़ संख्या जी.एच. 5, गोकुल नगर योजना, ग्राम गोकुलपुरा एवं झोटवाड़ा, जयपुर के प्रस्तावित समूह आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. स्टिल्ट फ्लोर/बेसमेन्ट/खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. कुल निर्मित क्षेत्रफल 20000 व.मी. से अधिक है अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जावें। 4. नीलामी में दिये गये एफ.ए.आर. 2.25 में EWS/LIG हेतु प्रोत्साहन एफ.ए.आर. 0.5 सम्मिलित करते हुए 2.75 एफ.ए. आर. से अधिक प्रस्तावित एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 5. भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक प्रस्तावित है। अतः भवन विनियम–2010 (संशोधित–2012) के नियम संख्या 19. 7.21 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें। 6. भवन विनियम–2010 (संशोधित–2012) व नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.05.

				2012 के अनुसार प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्र के 5 प्रतिशत के **बराबर निर्मित क्षेत्र 966.46 व.मी.** EWS/LIG हेतु आरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। आवेदक द्वारा पत्र दिनांक 27.05.2015 के द्वारा श्री राम सिटी–IV ग्राम नेवटा में 2352.22 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र व खसरा नम्बर 1407, 1408, 1413 व 1414, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड़ पार्ट बी ग्राम मुहाना में 553.14 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र कुल 2905.36 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र में EWS/LIG उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है जो कि अपेक्षित के तीन गुने से अधिक है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 7. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में निर्माण कार्य आवश्यक रूप से दिनांक 05.09.2015 तक प्रारम्भ करना होगा एवं दिनांक 05.06.2017 तक पूर्ण कर EWS/LIG इकाईयों का कब्जा जविप्रा को संभलवाना होगा। इस बाबत् प्रार्थी से शपथ पत्र भी लिया जावें। 8. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा उक्त अवधि में प्रस्ताव देना होगा। 9 नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
आयुक्त महोदय की आज्ञा से निम्नांकित अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।				
51.	174.51	श्री अंकुर अग्रवाल निदेशक अग्रवाल प्राइम हाईट्स प्रा. लि. के भूखण्ड़ संख्या जी.एच. 1, सरस्वती विहार–ए, ग्राम बड़ी का बास, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।		प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रकरण में उक्त भूखण्ड़ की 90 'बी' वर्ष 2009 से पूर्व में की जा चुकी है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.3 (77)नविवि/3/ 2010 पार्ट–I दिनांक 03.08.2012 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार जिन योजनाओं की 90बी दिनांक 23.12.2009 से पूर्व में की जा चुकी है, उन पर अर्फोडेबल टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधानानुसार EWS/LIG हेतु क्षेत्र आरक्षित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः आवेदक द्वारा उक्त भूखण्ड़ पर EWS/LIG का प्रावधान नहीं किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 3. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
52.	174.52	श्री निर्मल कुमार केडिया, पार्टनर केडिया रीयल स्टेट (एल.एल.पी) के खसरा नम्बर 459/6, ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।		प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 + 0.5 (तालिका 9 अनुसार) 2.75 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.746 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है।

			अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की **बेटरमेन्ट लेवी ली जावें।** 4. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 5. जविप्रा द्वारा 4105.40 वर्गमीटर क्षेत्रफल का पट्टा मय साईट प्लान जारी किया गया है। किन्तु मौके पर 3881.96 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि पर ही प्रार्थी का कब्जा है जिस पर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा प्रार्थी ने इतनी ही भूमि के भवन मानचित्र प्रस्तुत किये है। तदानुसार मानचित्रों की तकनीकी गणना की गई है। अतः आवेदक से शपथ पत्र लिया जावें कि अधिक क्षेत्र बाबत उनके द्वारा कोई क्लेम आदि नहीं किया जायेगा एवं न्यायालय आदि में यदि विवाद होता है तो वो स्वयं ही जिम्मेदार होगा। 6. उक्त भूखण्ड ग्राम बिन्दायका, तहसील जयपुर, जयपुर पर स्थित है, जो कि जयपुर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधी से बाहर स्थित है। अतः प्रकरण में नागरिक उड्डयन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 7. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
53.	174.53	श्री सीताराम देवन्दा, हाल सहायक महाप्रबंधक एस.बी.बी.जे के सेक्टर–3, विद्याधर नगर योजना में एस.बी.बी.जे. को आंवटित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गयाः– जविप्रा से जारी लीजडीड की शर्त सं. 5 के अनुसार भवन निर्माण दिनांक 31.12.2012 तक पूर्ण किया जाना था। अतः प्रार्थी को लिखा जावे कि भवन निर्माण अवधि बढाने हेतु नियमानुसार उपायुक्त जोन–2 के यहां आवेदन करें।
54.	174.54	दी ग्रीन त्रिवेणी डवलपर्स जरिये पार्टनर श्री रामचन्द अग्रवाल के भूखण्ड संख्या 2, ग्रीन त्रिवेणी आवासीय स्कीम, ग्राम नींदड़, तहसील आमेर, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्नांकित शर्तों के साथ अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गयाः– 1. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात अधिवास प्रमाण पत्र जारी किये जावे।
55.	174.55	श्री गोविन्द शरण, श्री गोवर्धन लाल, श्री गंगाशरण जरिये एस.एन.जी. रियल एस्टेट प्रा. लि. के खसरा नम्बर 555, 556/2, 556/3, 557/2, 557/3, 558/1, 558/2, 558/3, 558/4, ग्राम सांगानेर, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में आवेदक द्वारा सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक 44485.28 वर्गमीटर क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें। 4. मौके पर भूखण्ड में एक अस्थायी टीन शेड निर्मित है, जिसके सबंध में आवेदक से अण्डटेकिंग ली जावें। 5. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः संशोधित भवन विनिमय–2012 के अनुसार राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें। 6. प्रकरण में आवेदक द्वारा 45.0 मीटर ऊँचाई से अधिक अर्थात् 60 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये है। अतः एम.एन.आई.टी./आई.आई.टी./एम.बी.एम. इंन्जिनियरिंग कॉलेज, जोधपुर एवं राजकीय अभियान्त्रिकी

			महाविद्यालय, कोटा से स्ट्रक्चरल सेफ्टी के सम्बन्ध में **अधिकतम 3 माह के भीतर सर्टिफिकेट लिया जावें।** 7. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 + 0.5 = 1.83 अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 + 0.5 + 1 = 3.75 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 3.529 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.83 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 8. आवेदक द्वारा मूल भूखण्ड़ पर प्रस्तावित एफ.ए.आर. 24352.54 वर्गमीटर के 5 प्रतिशत (1217.62 व.मी) की एवज में प्रश्नगत भूखण्ड़ पर 24 ई.डब्ल्यू.एस. (क्षेत्रफल 704.88 व.मी.) तथा 12 एल.आई.जी. (क्षेत्रफल 526.32 व.मी.) कुल 1231.20 वर्गमीटर क्षेत्रफल आरक्षित किया गया है, जिसे समिति द्वारा स्वीकार किया गया। 9. आवेदक द्वारा प्रस्तावित एफ.ए.आर. की एवज में मूल भूखण्ड़ पर ही 5 प्रतिशत क्षेत्रफल ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु आरक्षित किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार "मूल परियोजना में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास प्रस्तावित होने पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. हेतु आरक्षित एफ.ए.आर. के समानुपात में एफ.ए.आर. मूल परियोजना के अन्य आवासों के रूप में तब तक रहन रखा जावें जब तक ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी.इकाईयों का कब्जा जविप्रा को नहीं सौंपा जावें, का आवेदक से शपथ पत्र लिया जावें। 10. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु संख्या 4 (ii) के अनुसार मूल प्रोजेक्ट में प्रस्तावित एफ.ए.आर. 15000 वर्गमीटर से अधिक 24352.54 वर्गमीटर होने के कारण ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की अधिकतम सीमा 5 वर्ष होगी। अतः निर्णय अपेक्षित है। 11. नियमानुसार श्रमिक उपकर लिया जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
56.	174.56	डॉ. प्रभाकर सेठी, निदेशक मैसर्स नोवल प्राईम मेडीकेयर सर्विसेज एण्ड रिसर्च प्रा. लि. के खसरा संख्या 3803, 3804, 3808, 3808/5123 व 3809 ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर पर प्रस्तावित हेल्थ सेन्टर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् हेल्थ सेन्टर के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. बेसमेन्ट व खुले में प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15.00 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद् का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक प्रस्तावित एफ.ए.आर. के लिए बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। 4. संशोधित मानचित्र के लिए परीक्षण शुल्क लिया जावें। 5 मौके पर भूखण्ड के सामने प्रस्तावित 200.00 फीट चौडी सड़क पर पुरानी दुकाने आदि बने हुये है जिन्हे हटवाया जावें। 6. प्रश्नगत भूखण्ड के सामने सड़क की भूमि पर अधिकाशं हिस्से में अन्य का कब्जा है। लगभग 50.00 फीट चौडाई में सामने आवेदक का कब्जा है। अतः वर्तमान में बी.पी.सी. (बी. पी.) में लिये गये नीतिगत निर्णय की पालना में सामने सड़क से 6.00 मीटर छोडते हुए पार्किंग उपलब्ध नहीं हो सकेगी। आवेदक द्वारा भूखण्ड के अन्दर से ही आगन्तुक पार्किंग प्रस्तावित की गई है। जिसे स्वीकार नहीं किया गया। भवन

			विनियम अनुसार प्रार्थी भूखण्ड सीमा से 6 मी. पश्चात् ही आगन्तुक पार्किंग उपलब करावें। 7. पूर्व में तृतीय तल तक भवन मानचित्र अनुमोदन किये जा चुके है। अतः चतुर्थ तल से शष्ठम तल तक के लिए श्रमिक उपकर लिया जावें। 8. संशोधित मानचित्र के लिए उपायुक्त जोन से स्वामित्व व बकाया की रिपोर्ट प्राप्त की जावें। उपरोक्तानुसार सेक्टर रोड में प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर कब्जा जोन को संभलवाने एवं अन्य कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
57.	174.57	श्री अशोक अग्रवाल के भूखण्ड संख्या 7, हनुमान वाटिका ए–7, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित EWS/LIG फ्लैट्स के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गयाः– 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र, नागरिक उड्डयन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें। 3. प्रकरण में मानक एफ.ए.आर. 1.33 तथा अधिकतम बेटरमेन्ट लेवी सहित 2.25 अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा 2.24 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है। अतः मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर. की बेटरमेन्ट लेवी ली जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।
58.	174.58	श्री पारस कुमार जैन के खसरा नम्बर 74, 75/1005, 76/1006, 77/1007, 80/1008, 81, 86, 80, 79, 73, 74/1004, 809, 810, 811, 812, 815, 800, 804, 805, 808, 813 एवं 814, ग्राम बगरूखुर्द एवं ठिकरीया तहसील सांगानेर, अजमेर रोड़, जयपुर।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गयाः– 1. पूर्व बैठक दिनांक 18.05.2015 में लिये गये निर्णय अनुसार मूल भूखण्ड पर जिन खसरा भूमि की 90–बी दिनांक 23.12.2009 के पश्चात् की गई है उन पर EWS/LIG के प्रावधान लागू होंगे एवं जिन खसरा भूमि की 90–बी दिनांक 23.12.2009 के पूर्व की है, उन पर EWS/LIG के प्रावधान लागू नहीं होंगे। 2. 94 विलाज जिस भूमि पर अनुमोदित किये गये है जोन की रिपोर्ट अनुसार उस भूमि की 90–बी दिनांक 23.12.2009 के पश्चात् की है। अतः अनुमोदित किये गये मानचित्र अनुसार कुल एफ.ए.आर. 17435.9 वर्गमीटर होता है। जिसका 5 प्रतिशत के अनुसार कुल 871.80 वर्गमीटर क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु आरक्षित किया जाना अनिवार्य है। आवेदक से एक माह में उपरोक्तानुसार मूल भूखण्ड अथवा अन्यत्र हेतु प्रस्ताव लिया जावें। 3. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 6 माह में भी EWS/LIG का कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 4. आदेश दिनांक 06.06.2015 की अनुपालना में एकमुश्त राशि EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 200/– प्रति वर्ग फीट शास्ति भी ली जावे। 5. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 6. आवेदक द्वारा एक माह में EWS/LIG क्रय कर प्रस्ताव देने में आदेश दिनांक 02.05.2012 एवं 06.06.2015 की अनुपालना

			में 3 माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं 2 वर्ष में पूर्ण कर जविप्रा को कब्जा संभलवाना होगा अथवा आवेदक द्वारा अगर मूल भूखण्ड अथवा अन्य भूखण्ड पर EWS/LIG फ्लैट्स प्रस्तावित करने पर मानचित्र अनुमोदन दिनांक से 3 माह में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं 2 वर्ष में पूर्ण कर जविप्रा को कब्जा संभलवाना होगा। 7. EWS/LIG एफ.ए.आर. क्षेत्रफल के बराबर मूल परियोजना में फ्लैट्स रहन पर रखने हेतु विकासकर्ता द्वारा 30 दिवस में फ्लैट नं. देने हुये प्रस्ताव देना होगा। उपरोक्त बिन्दु सं. 2, 3, 4 व 5 की पालना एक माह में नहीं होने पर मानचित्र निरस्त कर दिये जावें।
59.	174.59	श्री भागचन्द जैन, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, संगम इन्फोटेक कम्पनी लि. के खसरा नम्बर 329, 333, 335, 336, 337, 338, 353, 355, 356, 357, 358 व 362 ग्राम–ठिकरिया, तहसील–सांगानेर जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया:– 1. प्रश्नगत प्रकरण में नियत तिथि 3 माह में भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2015 की अनुपालना में EWS/LIG के क्षेत्रफल पर रू. 175/– प्रति वर्ग फीट शास्ति ली जावे। 2. उक्त शास्ति विकासकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से मांगपत्र जारी दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जायेंगे। 3. 6 माह के भीतर अर्थात् दिनांक 02.8.2015 तक EWS/LIG इकाईयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर जविप्रा को कब्जा संभलवाना होगा। उपरोक्त की पालना नहीं करने पर भवन मानचित्र निरस्त कर दिये जावेंगे।
60.	174.60	श्री विनोद कुमार गुप्ता के व्यावसायिक भूखण्ड, बजाज नगर एनक्लेव, जयपुर के व्यावसायिक सह आवासीय भवन में अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार निर्माण कार्य में परिवर्तन करने बाबत्।	प्रकरण में समिति द्वारा चर्चा कर निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन की पालना में प्रार्थी से एफ.ए.आर. 1.75 के स्थान पर तत्समय अनुमोदित एफ.ए.आर 2.0 की बेटरमेन्ट लेवी मय ब्याज 30 दिवस में ली जावें।
61.	174.61	श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निदेशक मौजिका रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्रा.लि. के खसरा नम्बर 25 सम्पूर्ण व 24, 26,27 का आंशिक भाग ग्राम पापड तहसील जयपुर के आवासीय परिसर की ऊँचाई निर्धारण बाबत।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि :– मौके पर उपलब्ध सडक की चौडाई के आधार पर पूर्व में भवन मानचित्र समिति (बीपी) में भवन की ऊँचाई 29.80 मीटर स्टील्ट सहित अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया था। तद्नुसार ही भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये गये थे। वर्तमान में आवेदक द्वारा 39.90 मी. ऊँचाई प्रस्तावित की गई थी। परन्तु मौके पर केवल प्रश्नगत भूखण्ड के सामने अभी 80 फीट सडक है तथा बाकी सडक की चौडाई 40 फीट ही है एवं इस सडक पर लगभग 90 प्रतिशत भूखण्डों पर सामने शून्य सैटबैक छोडते हुए गोदाम व दुकानों का निर्माण किया गया है। अतः प्रार्थी का 39.09 मी. ऊचाई के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार प्रार्थी को सूचित किया जावें।
62.	174.62	जॉय सिण्डीकेट एण्ड एक्लेव प्रा. लि. के भूखण्ड संख्या बी एवं सी खसरा नम्बर 722, 825 व 826, ग्राम–सिरसी, सिरसी रोड़ पर आवासीय फ्लैट्स का अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने बाबत्।	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय फ्लैट्स के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया:– 1. अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जयपुर से जारी स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया जावें। 2. अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से पूर्व विकालागों हेतु प्रावधान करवाया जावें। 3. अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से पूर्व सभी ब्लॉकों पर सौर ऊँर्जा हेतु प्रावधान करवाया जावें। 4. अधिवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने से पूर्व निर्धारित शुल्क लिया जावें।

			5. आवेदक द्वारा दिनांक 28.04.2015 को आवेदन प्रस्तुत कर नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार से जारी आदेश दिनांक 16.04.2015 को उल्लेख करते हुए निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र दिनांक 17.09.2012 को अनुमोदित कर जारी किये गये थें तथा संशोधित मानचित्र दिनांक 09.05.2014 को अनुमोदित कर जारी किये गये है उक्त अनुमोदन के लिए नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार से जारी आदेश दिनांक 04.10.2013 के कम में अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण हेतु शुल्क लिया गया था, नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार से जारी आदेश दिनांक 16.04.2015 के अनुसार उक्त आदेश जारी होने के दिनांक 04.10.2013 से लागू है। चूंकि राज्य सरकार का आदेश दिनांक 16.04.2015 को जारी हुआ। अतः अग्निशमन सुविधा उपलब्ध कराने/सुदृढीकरण हेतु शुल्क जमा राशि नहीं लोटाई जावें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जावें।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

20/7/15

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2015/डी–1636

दिनांकः– 20/7/2015

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

20/7/15

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट–"अ"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 174वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।	अध्यक्ष,
2.	श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।	सदस्य,
3.	श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य,
4.	श्रीमती रश्मि गुप्ता, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
5.	श्री एम.एस. रत्नू, अति. आयुक्त (भूमि) जविप्रा, जयपुर।	सदस्य
6.	मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी (बीपी), जविप्रा, जयपुर।	सदस्य सचिव,

विशेष आमंत्रित :–

7. श्री विष्णु कुमार गोयल, उपायुक्त जोन–01, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री सुभाष महरिया, उपायुक्त जोन–04, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री राम लाल गुर्जर, उपायुक्त जोन–09, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन–13, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री प्रभात गोस्वामी, ओएसडी (पी.आर.), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
13. श्री अर्पित संचेती, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।

20/7/15

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)